



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052024-254420
CG-DL-E-29052024-254420

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2024/ज्येष्ठ 8, 1946

No. 275]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2024/JYAISHTHA 8, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2024

संख्या 10/2024-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 296(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, सं. 02/2017 केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 609 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के सारणी 2 में, जो 5 अगस्त, 2023 से प्रवृत्त हुई है-

- (i) क्र.सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और रखी हुई समझी जाएंगी, अर्थात्:-

"7	अलवर	राजस्थान राज्य में अलवर, खैरथल- तिजारा, भरतपुर, डीग, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनु जिले तथा कोटपूतली-बेहरोड जिले की बहरोड, बानसुर, नीमराणा, मांडण और नारायणपुर तहसीलें।";
----	------	---

(ii) क्र.सं. 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और रखी हुई समझी जाएंगी, अर्थात्:-

"49	जयपुर	राजस्थान राज्य में जयपुर, जयपुर (ग्रामीण), डुडु, अजमेर, ब्यावर, टोंक और केकडी जिले तथा कोटपूतली- बेहरोड जिले की कोटपूतली, विराटनगर और शाहपुरा तहसीलें।";
-----	-------	--

(iii) क्र.सं. 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और रखी हुई समझी जाएंगी, अर्थात्:-

"53	जोधपुर	राजस्थान राज्य में जोधपुर, जोधपुर (ग्रामीण), फलौदी, नागौर, डीडवाना-कुचामन, पाली, सिरोही, जालौर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर, चुरु, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले।";
-----	--------	---

(iv) क्र.सं. 102 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और रखी हुई समझी जाएंगी, अर्थात्:-

"102	उदयपुर	राजस्थान राज्य में उदयपुर, सलूमबर, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, बरां, कोटा और झालावाड़ जिले।";
------	--------	--

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/18/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 02/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 609(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 05/2024- केन्द्रीय कर, तारीख 30 जनवरी, 2024 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 77(अ), तारीख 30 जनवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2024

No. 10/2024-Central Tax

G.S.R. 296(E).—In exercise of the powers conferred under section 3 read with section 5 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 3 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 02/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 609(E), dated the 19th June, 2017, namely: -

In the said notification, in Table II, with effect from the 5th August, 2023, -

(i) for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted and shall be deemed to have been substituted, namely:-

“7	Alwar	Districts of Alwar, Khairthal- Tijara, Bharatpur, Deeg, Dholpur, Dausa, Karauli, Sawaimadhapur, Gangapur City, Sikar, Neem Ka Thana and Jhunjhunu and Behror, Bansur, Neemrana, Mandan and Narayanpur tehsils of district Kotputli-Behror in the State of Rajasthan.”;
----	-------	--

(ii) for serial number 49 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted and shall be deemed to have been substituted, namely:-

“49	Jaipur	Districts of Jaipur, Jaipur (Rural), Dudu, Ajmer, Beawar, Tonk and Kekri and Kotputli, Viratnagar and Shahpura tehsils of district Kotputli-Behror in the State of Rajasthan.”;
-----	--------	---

(iii) for serial number 53 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted and shall be deemed to have been substituted, namely:-

“53	Jodhpur	Districts of Jodhpur, Jodhpur (Rural), Phalodi, Nagaur, Didwana-Kuchaman, Pali, Sirohi, Jalore, Sanchole, Barmer, Balotra, Jaisalmer, Bikaner, Churu, Ganganagar, Hanumangarh and Anupgarh in the state of Rajasthan.”;
-----	---------	---

(iv) for serial number 102 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted and shall be deemed to have been substituted, namely:-

“102	Udaipur	Districts of Udaipur, Salumbar, Rajsamand, Bhilwara, Shahpura, Chittorgarh, Pratapgarh, Dungarpur, Banswara, Bundi, Baran, Kota and Jhalawar in the state of Rajasthan.”.
------	---------	---

[F. No. CBIC-20016/18/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

Note:— The principal notification No. 02/2017- Central Tax, dated the 19th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 609(E), dated the 19th June, 2017 and was last amended *vide* Notification No. 05/2024-Central Tax, dated the 30th January, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 30th January, 2024.